

दिल्ली में अखलि भारतीय आरक्षण नयिम

चर्चा में क्यों?

एक वाद में नरिणय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण राज्य वशिषिट है, लेकिन दिल्ली एक 'लघु भारत' है जहाँ "अखलि भारतीय आरक्षण नयिम" लागू होता है।

परमुख बदि

- न्यायमूर्तरिंजन गोगोई की अगुवाई में पाँच न्यायाधीशों की संवधिान पीठ ने सर्वसम्मतिसे यह कहा कि रोजगार या शकिषा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवासति किसी अन्य राज्य के अनुसूचति जात के व्यक्त को दूसरे राज्य में अनुसूचति जात का नहीं माना जा सकता है।
- न्यायाधीश ने कहा कि संवधिान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ राज्य/संघ शासति प्रदेश के भौगोलकि क्षेत्रों तक ही सीमति रहेगा। इसके संबंध में अनुसूचति जातियों/अनुसूचति जनजातियों की सूची को समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अधिसूचति कयिा गया है।
- पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एन .वी रमण, आर. भानुमति, एम.एम. शांतनगौदर और एस. अब्दुल नज़ीर शामिल थे।
- लेकिन न्यायमूर्त भानुमति बहुमत से इस बदि पर कि दिल्ली के लयि अखलि भारतीय आरक्षण का नयिम " संघीय राजनीति की संवैधानकि संरचना के अनुकूल है", असंतुषट दखिे।
- न्यायमूर्त बनुमथी ने कहा कि यद दिल्ली जैसे संघ शासति प्रदेशों में अखलि भारतीय आरक्षण का नयिम लागू होता है तो इससे अनुसूचति जात/जनजात के उत्थान की संवधिान की योजना का उद्देश्य ही वफिल हो जाता है।
- हालाँकि, न्यायमूर्त भानुमथी ने इस पर सहमत व्यक्त की कि आरक्षण राज्य-वशिषिट होना चाहयिे।